

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्रमांक / 616 / स्था. / नग्रानि / 2019

भोपाल, दिनांक 31-1-19

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-01/2016/18-5, भोपाल दिनांक 19.09.2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा समूह-2 उप समूह-4 के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 के तारतम्य में उपलब्ध कराई गई चयन सूची के चयनित निम्नलिखित अभियार्थी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अन्वेषक के पद पर वेतनमान level 7 pay matrix 28700-91300 पर मूल वेतन 28700/- पर शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर . अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क	नाम/पिता/पति का नाम	लिंग	चयन सूची वर्ग	गृह जिला	स्थान जहा पदस्थ किया जाता है
1.	श्री ब्रजेश कुमार, आत्मज श्री बजरंगी प्रसाद बरनावाल	पुरुष	सामान्य	गोपालगंज बिहार	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या. रीवा
2.	श्री युवराज सिंह चौहान, आत्मज श्री दिलिप सिंह चौहान	—	—	खण्डवा	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या. खरगौन
3.	श्री छोटेलाल साहू, आत्मज श्री कृष्णदेव साहू	—	—	छिंदवाडा	मुख्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
4.	श्री दीपक नेमा, आत्मज श्री प्रेमचंद नेमा	—	—	सिवनी	मुख्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
5.	श्री शुभंक खरे, आत्मज श्री शरदकुमार खरे	—	—	छिंदवाडा	मुख्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
6.	श्री प्रवीण कुमार सिंह, आत्मज श्री राजेश कुमार सिंह	—	—	ग्वालियर	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या. ग्वालियर
7.	सुश्री नीलू कौशिक, आत्मजा प्रतीक कौशिक	—	—	इंदौर	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या. इंदौर
8.	श्री अतुल मालवीय, आत्मज श्री अरुण मालवीय	—	अन्य पिछडा वर्ग विकलांग	बैतूल	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या. राजगढ़

1. प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह-2 उपसमूह-4 के अंतर्गत श्रम निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पद हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2017 के अंतर्गत मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में सस्थित याचिका क्रमांक 7780/2017 कृष्णकन्हैया गुप्ता विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.05.2017 के अनुसार यह नियुक्ति याचिका के अंतिम निराकरण के अधीन होगी।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3 दिनांक 24नवम्बर, 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभावं से समाप्त की जाएगी"।

3. नियुक्त कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरुद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप)
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
5. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
6. सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेंगी।
7. नव नियुक्त कर्मचारी, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
8. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समय सीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
9. अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार निर्धारित होगा।
11. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
12. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
13. अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करने के पश्चात् संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
14. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
15. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।

16. अभ्यार्थी का परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा एवं अन्य कोई स्थान पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
श.प्र.भोपाल  
भोपाल, दिनांक 31-1-19

पृ.क्रमांक/ 617 /स्था./नग्रानि/2018  
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा/ग्वालियर/ इंदौर/खरगौन/राजगढ़।
2. श्री ब्रजेश कुमार, आत्मज श्री बजरंगी प्रसाद बरनीवाल, पता- 20 बी, देवभा, वार्ड 5, कुच्चईकोट, बिहार-841503,
3. श्री युवराज सिंह चौहान, आत्मज श्री दिलिप सिंह चौहान पता-मकान न. 80, एट पोस्ट आशापुर, तहसील खण्डवा, खण्डवा 450117,
4. श्री छोटेलाल साहू, आत्मज श्री कृष्णदेव साहू पता- 13, अम्बेडकर नगर, नियर ऐमिनेंट स्कूल, इंदौर 452001,
5. श्री दीपक नेमा, आत्मज श्री प्रेमचंद नेमा पता- नेटकॉम कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, गर्ल्स स्कूल के सामने, महावीर वार्ड, सिवनी 480661,
6. श्री शुभंक खरे, आत्मज श्री शरदकुमार खरे पता- आकृति नगर, नियर पंचशील कॉलोनी, साउथ सिविल लाईन, छिंदवाडा 480001,
7. श्री प्रवीण कुमार सिंह, आत्मज श्री राजेश कुमार सिंह पता- 8-सी, इंदरा नगर, थाटीपुर ग्वालियर 474011,
8. सुश्री नीलू कौशिक, आत्मज श्री प्रतीक कौशिक पता- क्वाटर न 203, शालीमार पाम्स, नियर पिपलियहाना, इंदौर 452016,
9. श्री अतुल मालवीय, आत्मज श्री अरुण मालवीय पता- मालवीय नगर, भैंसदेही, भैंसदेही बैतूल 460220,

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

7. श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, द्वारा श्री विद्याराम श्रीवास्तव, 38/581, शर्मागली गोपालपुरा मुरैना 476001 म.प्र. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
9. व्यक्तिगत नस्ती।
10. रोस्टर लिपिक।

संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
श.प्र.भोपाल

31/1/19